दिनांक 20.08.2014 को M/s D.S. Rolling Mills Vill Dayalpur, Khanpur Block, Tehsil Laksar, Dist Haridwar की 24000 टन प्रति वर्ष से 138000 टन प्रति वर्ष (TMT Bar and Structure) के क्षमता विस्तारीकरण हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए आहूत लोकसुनवाई का कार्यवृत्त

M/s D.S. Rolling Mills Vill Dayalpur, Khanpur Block, Tehsil Laksar, Dist Haridwar द्वारा TMT Bar and Structure के क्षमता विस्तारीकरण जो वर्तमान उत्पादन 24000 टन प्रति वर्ष से बढकर 138000 टन प्रति वर्ष होगा हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए जन सुनवाई का आयोजन किया गया। पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून में प्रस्ताव प्राप्त हुआ। उक्त प्रस्ताव पर्यावरण एवं वन मंन्त्रालय भारत सरकार की पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना–2006 के अन्तर्गत आच्छादित है। लोक परामर्श हेतु विज्ञप्ति दैनिक समाचार पत्रों में 20.07.2014 को प्रकाशित की गयी थी। जिलाधिकारी, हरिद्वार द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी (वित्त) की अध्यक्षता में उधोग परिसर में लोक सुनवाई आयोजित की गयी । लोक सुनवाई की उपस्थिति संलग्नानुसार रही। अध्यक्ष महोदया की अनुमति द्वारा दिनांक 20.08.14 को लोक सुनवाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। इस अनुकम में परामर्शी संस्था ग्रास रूट्स रिसर्च एण्ड किएसन इण्डिया प्रा0लि0, नोएडा द्वारा परियोजना की पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तथा प्रबन्धन योजना कर विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है। जिसका विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत है:–

1. उद्योग द्वारा 2x12 टन की इन्डक्शन फर्नेश, 15 टन क्षमता की लैडल फर्नेश, 4/7 त्रिज्या की Continuous casting machine, तथा 22 टन प्रतिघन्टा की Reheating Furnace की स्थापना की जायेगी। वर्तमान में स्थापित 8 टन क्षमता की Induction Furnace को हटाया जायेगा।
2. उद्योग हेतु कुल क्षेत्रफल 2.592 हेक्टेयर होगा, जो कि उद्योग के स्वामित्व में है। विस्तारीकरण हेतु पृथक से जमीन की आवश्यकता नहीं होगी तथा विस्तारीकरण हेतु परियोजना की कुल लागत रू0 44 करोड प्रस्तावित है।
3. यह परियोजना Interstate Boundary के 10 किमी के क्षेत्र में है, जिस कारण से परियोजना को भारत सरकार के पर्यावरण मुल्यांकन प्रभाव अधिसूचना 2006 के श्रेणी ए में चिन्हित किया गया है।
4. प्रस्तावित विस्तारीकरण परियोजना में कुल जल खपत 98 किली प्रतिदिन होगी, जिस हेतु भूगर्भीय जल को प्रयुक्त किया जायेगा एवं केन्द्रीय भू–गर्भीय बोर्ड से उक्त हेतु स्वीकृति प्राप्त की जायेगी। प्रकिया से कोई भी दूषित उत्प्रवाह जनित नही होगा एवं परिसर के बाहर कोई भी पानी नही छोडा जायेगा।

5. प्रस्तावित विस्तारीकरण परियोजना में 50 अतिरिक्त मानव संसाधनों की आवश्यकता होगी। एवं कुल ऊर्जा की आवश्यकता 10 हजार केवीए होगी, जिस हेतु उत्तराखण्ड पावर कोर्पोरेशन को पूर्व स्वीकृति प्राप्त की जा चुकी है।
6. **परियोजना से होने वाले वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु कुल दो** बैग फिल्टर लगाये जायेगें, जिसमें अत्याधुनिक तकनीकी का उपयोग किया जायेगा।
7. परियोजना से निकलने वाले ठोस अपशिष्टों का निम्नानुसार निस्तारण किया जायेगा– **धातुमल** का उपयोग सड़क निर्माण, रेलवे गिट्टी बनाने में होगा, **अग्निरोधक ईंटें** पुनः प्रयुक्त की जायेगी, **कारखाना अपशिष्ट (Mill Scale)** को पुनः उपयोग किया जायेगा, **Steel Scrap** को Induction Furnace में Scrap के साथ पुनः उपयोग किया जायेगा, **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं से निकलने वाली डस्ट** को पैलेट बनाने में प्रयुक्त किया जायेगा या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अधिकृत संस्था के माध्यम से निस्तारित किया जायेगा।
8. परिसर में चारों ओर ग्रीन बेल्ट होगी, जो केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुरूप होगी।
9. पर्यावरण नियंत्रण विभाग की स्थापना प्रस्तावित है, जिसका कार्य सतत् रूप से पर्यावरण अनुश्रवण करना होगा। प्रदूषण नियंत्रण व रोकथाम हेतु कुल रू01.33 करोड का व्यय व इसका आवर्ती खर्च रू0 0.21 करोड प्रस्तावित है। सामुदायिक विकास में रू0 2.20 करोड के बजट का प्रस्ताव है।

प्रस्तुतीकरण के बाद परियोजना के सम्बन्ध में जन समुदाय को उनके सूझाव एवं आपत्तियाँ हेतु आमंत्रित किया गया तथा जन समुदाय द्वारा प्रस्तुत सूझावों एवं आपत्तियों का विवरण निम्नानुसार है–

1. श्री भोपाल सिंह द्वारा कहा गया, कि उद्योग में स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना चाहिये। क्षेत्र में उद्योग लगने से क्षेत्र का विकास होगा। वे उद्योग लगने के पक्ष में है। परियोजना प्रबन्धक द्वारा कहा गया कि विस्तारीकरण में रोजगार सृजन के अवसर होगें तथा स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता दी जायगी।
2. श्री राकेश कुमार द्वारा कहा गया, कि स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना चाहिये एवं क्षेत्र में उद्योग द्वारा आधारभूत सुविधाओं का विकास भी करना चाहिये, जिस पर परियोजना प्रबन्धक द्वारा कहा गया कि परियोजना में सामुदायिक विकास हेतु रू0 2.2 करोड के बजट का प्रावधान किया गया है।
3. श्री मांगेराम, ग्राम खानपुर द्वारा कहा गया, कि परियोजना में सामुदायिक खर्च के बजट में जो रू0 2.20 करोड के खर्च का प्रस्ताव है, उसके सम्बन्ध में यह बताया जाये कि उसका व्यय किस प्रकार होगा तथा प्रस्तावित परियोजना से पूर्व में इस तरह का कोई बजट यदि था, तो उससे अब तक सामुदायिक विकास के कौन–कौन से कार्य किये

गये हैं उनकी जानकारी उपलब्ध करायी जाये। इस पर परियोजना प्रबन्धक द्वारा कहा गया कि पूर्व में इस तरह के बजट का कोई प्रावधान नही था। यद्यपि उनके द्वारा क्षेत्र में वृक्षारोपण इत्यादि के कार्य किये गये हैं। वर्तमान में प्रस्तावित परियोजना में सामुदायिक विकास हेतु रू0 2.2 करोड के बजट का प्रावधान किया गया है। यह भी कहा गया कि इस सुविधा को वास्तविक रूप से जरूरतमन्द लोगों को तथा स्थानीय क्षेत्र के आधारभूत ढांचागत सुविधा के विकास में ही लागू किया जायेगा। परियोजना विस्तारीकरण में जो रू0 2.20 करोड का खर्च प्रस्तावित है, वह 5 वर्षों में किया जायेगा।

इसके उपरान्त अध्यक्ष महोदया द्वारा मत विभाजन की कार्यवाही कराई गयी एवं कहा गया कि जो भी व्यक्ति मै0 डी0एस0 रोलिंग मिल्स प्रा0 लि0 , दयालपुर लक्सर के TMT Bar and Structure की क्षमता विस्तारीकरण परियोजना जो वर्तमान में 24000 मिट्रिक टन प्रतिवर्ष से बढाकर 1,38,000 मिट्रिक टन प्रतिवर्ष है, के विरोध में हैं वह अपने–अपने हाथ उठाये इस पर सभा में उपस्थित किसी भी व्यक्ति द्वारा उक्त विस्तारिकरण परियोजना के विरोध में मतदान नही किया गया। पुनः यह उच्चारण किया गया कि जो व्यक्ति उक्त उद्योग द्वारा क्षमता विस्तारीकरण परियोजना का समर्थन करते है वह अपने–अपने हाथ उठाये इस पर सुनवाई के समय सभा में उपस्थित अधिकांश व्यक्तियों द्वारा हाथ उठाकर परियोजना के पक्ष में मतदान किया गया।

अतः उपरोक्त मत विभाजन की कार्यवही के अनुकम में मै0 डी0एस0 रोलिंग मिल्स प्रा0 लि0, दयालपुर लक्सर के TMT Bar and Structure की क्षमता विस्तारीकरण परियोजना जो वर्तमान में 24000 मिट्रिक टन प्रतिवर्ष से बढाकर 1,38,000 मिट्रिक टन प्रतिवर्ष है, की सहमति दर्ज करते हुये कार्यवृत्त को जन समुदाय को पढकर सुनाया गया तथा पुरी प्रकिया की विडियो रिर्काडिंग भी कराई गयी। अन्त में अध्यक्ष महोदया के धन्यवाद के साथ लोक सुनवाई का समापन किया गया।

डॉ0 अंकुर कंसल
क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0)
उ0प0सं0प्र0नि0बो0, रूडकी

रवनीत चीमा
अपर जिलाधिकारी (वित्त)
जिला हरिद्वार

दिनांक 20.08.2014 को M/s D.S. Rolling Mills Vill Dayalpur, Khanpur Block, Tehsil Laksar, Dist Haridwar की 24000 टन प्रति वर्ष से 138000 टन प्रति वर्ष (TMT Bar and Structure) के क्षमता विस्तारीकरण हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए आहूत लोकसुनवाई की उपस्थिति।

कम स0	नाम / पदनाम	हस्ताक्षर
1	रवनीत चीमा, अपर जिलाधिकारी (वित्त) हरिद्वार	[signature]
2	डा० अंकुर कंसल क्षे० अ० प्र० नि० बो०	[signature]
3	राकेश कण्डारी सहा० अभि० प्र० नि० बो०	[signature]
4	H.S. Maan (General Manager)	[signature]
5	[illegible]	[illegible]
6	सतपाल	सतपाल
7	दुष्यन्त सिंह	[signature]
8	[illegible]पाल सिंह	[illegible]पाल सिंह
9	मदन सिंह	मदन सिंह
10	सतपाल	[thumb impression]
11	राकेश	[thumb impression]
12	मुकेश	
13	नौशाद	नौशाद
14	Jitahut	Jitahut
15	बाबूराम	बाबूराम
16	विनोद कुमार	विनोद कुमार
17	विपिन कुमार	विपिन कुमार

कम स0	नाम / पदनाम	हस्ताक्षर
18	शैलेन्द्र गिरी	S. [illegible]
19	अनुराग त्यागी	Anugrah [illegible]
20	Pardeep Sharma	Pardeep
21	राजकुमार गिरी	राजकुमार गिरी
22	सतीश	सतीश
23	विन्दर	विन्दर
24	जयपाल सिंह	जयपाल सिंह
25	श्री अनेशपाल सिंह	अनेशपाल सिंह
26	राजकुमार	राजकुमार
27	रोहित	रोहित
28	Salim	Salim
29	गफूर अली	गफूर अली
30	मन्नू	मन्नू
31	वीरपाल	Veerpal
32	ओमपाल	ओमपाल
33	चौ० महकारसिंह	चौ० महकारसिंह
34	अजय कुमार	अजय कुमार
35	[illegible]	[illegible]
36	राजेन्द्र	राजेन्द्र

क्रम स0	नाम / पदनाम	हस्ताक्षर
37	प्रवीण कुमार	[signature]
38	शेराव	[thumbprint]
39	फ़रकान राणा	फ़रकान राणा
40	राजशाह	
41	सुनील कुमार	[thumbprint] सुनील कुमार
42	योगेश वन	योगेश वन
43	आनन्द	आनन्द
44	पंकज	पंकज
45	प्रेम	प्रेम
46	दौलसिंह	दौलसिंह
47	नेतपाल	नेतपाल
48	सुभाषचन्द	सुभाषचन्द
49	Dr. P.R. Chaudhari, AGM, GRC [illegible]	[signature]